कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), कौलागढ़ उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-43/2017-18/

दिनांक : /11/2017

सेवा में,

जिला वकास अ धकारी, उधम संह नगर

जनपद- उधम संह नगर

वषय : जिला वकास अ धकारी, उधम संह नगर का वर्ष 07/2015 से 06/2017 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में 02 प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा र्षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग- 2 (अ) के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या स चव, ग्राम्य वकास उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग 2 (ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 43/2017-18/ दिनांक: /11/2017

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- आयुक्त ग्राम्य वकास पौड़ी, जनपद- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड ।

2- मुख्य वकास अ धकारी, उधम संह नगर, जनपद- उधम संह नगर ।

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 43 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला वकास अ धकारी, उधम संह नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला वकास अ धकारी, उधम संह नगर के माह 07/2015 से 06/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सतेन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी श्री सुनील डंग, पर्यवेक्षक, श्री राजवेश भट्ट, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2017 से 01 अगस्त 2017 तक श्री एस के त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री राजा रंजन राव, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री अनिल कुमार II, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27/07/2015 से 06/8/2015 तक श्री दनिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/**2013** से 06/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः ---

1. जनसंख्या :

2. निर्वा चत सदस्यों की संख्या :

3. पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या :

4. उपस मतियों, स्थायी स मतियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या :

5. कर्मचारियों की संख्या :

6. पंचायतराज की संप त्तयाँ:

7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट :

8. योजनाओं की संख्या :

9. (अ) सामाजिक संरक्षा :

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित :

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें :

(द) लाभा र्थयों की संख्या :

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया रा श :

11. वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये |

12. क्या वा र्षक योजनाओं एवं बजट पर निर्वा चत निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित कया गया :

2(**ii**)(अ)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आ धक्य	बचत	आ धक्य	बचत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2014-15	0	553.346	118.334	117.371	4227.385	4247.548	0	0.963	0	533.183
2015-16	0	533.183	113.393	112.511	3481.752	3315.376	0	0.882	0	699.559
2016-17	0	699.559	172.285	155.955	902.780	1484.667	0	16.330	0	117.672
2017-18(जून 2017तक)	0	117.672	164.845	141.687	1756.86	1382.357	0	23.158	0	492.175

भाग 2(**ii**)(ख)

केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण					
वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अवशेष
2014-15	बायोगैस योजना	0	0	0	0
2015-16	बायोगैस योजना	0	18.532	18.532	0.00
2016-17	बायोगैस योजना	0	12.950	12.750	0.20
2014-15	मनरेगा	41.928	1596.985	1633.913	5.00
2015-16	मनरेगा	5.000	2991.380	2991.380	5.00
2016-17	मनरेगा	5.000	353.750	353.750	5.00

भाग 2(अ)

प्रस्तर 1:- वधायक नि ध के अन्तर्गत धनरा श ` **792.33 लाख को शासकीय निर्देशों के विपरित कोषागार में जमा न किया जाना एवं धनराशि ` 74.15 लाख की योजनाओं का समायोजन लम्बित रहना।**

शासन द्ववारा पिछली विधान सभाओं की अवचन बद्ध धनराशि जो अब ब्यय की जानी संभव नहीं थी, को नियमानुसार राजकोष में जमा किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

जिला विकास अधिकारी, उधमसिहं नगर के अभिलेखों की जाँच में प्रकाश में आया कि विभागीय पी.एल.ए.-8448 में मार्च 2017 को ` 12.07 करोड़ शेष था जिसमें से ` 10.98 करोड़ विधायक निधि का शेष था, शेष ` 1.09 करोड़ की राशि अन्य विभागों/मदों से सम्बन्धित थी। चूँकि अप्रैल 2017 से नई विधान सभा का गठन हुआ था, अतः विभागीय पी.एल. में ` 10.98 करोड़ की अवशेष राशि पुरानी विधायक निधि जिसकी अवधि अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक थी, से सम्बन्धित व विगत वर्षों की बचत अथवा अप्रयुक्त राशि थी जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् था-

(धनराशि ` लाख में)

वित्तीय वर्ष (1)	**उपलब्ध राशि (2)**	**अवमुक्त राशि (3)**	**अवशेष राश (4)**	**लम्बित दायित्व (5)**	**शुद्ध बचत/अप्रयुक्त राशि (6)**
2012-13	2250	2247.89	2.11	1.61	0.50
2013-14	2250	2243.48	6.52	3.16	3.36
2014-15	2475	2423.85	51.15	37.22	13.93
2015-16	2475	2336.05	138.95	82.18	56.77
2016-17	2475	1576.42	898.58	195.06	703.52
योग			**1097.31**	**319.23**	**778.08**

बचत/अप्रयुक्त राशि को जिला विकास कार्यालय द्वारा शासकीय निर्देशों के क्रम में कोषागार में जमा कराया जाना था। इसके अतिरिक्त, विधायक निधि हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 की प्रगति आख्या (जुलाई 2017) के अवलोकन में यह भी प्रकाश में आया कि वर्ष 2015-16 की दो योजनायें (अवमुक्त राशि 2.25 लाख) विकास निधि शुल्क से पूर्ण करा ली गयी थी तथा वर्ष 2016-17 की 06 योजनाओं (अवमक्त राशि ` 12.00 लाख) को कार्यस्थल अप्राप्त अथवा विवादित होने के कारण कराया जाना संभव नहीं ता। अतः संदर्भित धनराशि ` 14.25 लाख (` 2.25+12.00) को भी ग्रामीण विभाग से वापिस प्राप्त कर कोषागार में जमा कराया जाना था।

इस प्रकार धनराशि ` 792.33 लाख (` 778.08+14.25 लाख) को जिला विकास कार्यालय द्वारा संदर्भित शासनादेश के क्रम में कोषागार में सुसंगर लेखा-शीर्ष के अन्तर्गत जमा कराया जाना चाहिए था।

प्रगति आख्या (जूलाई 2017) की जाँच मे यह भी प्रकाश मे आया कि वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 की 33 योजनाओं का समायोजन योजनाओं की समाप्ति (दिसम्बर 2016 तक) के 06 माह उपरान्त भी नहीं हो सका था जबकि वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि निर्माण कार्यों के लेखे कार्य समाप्ति के 06 माह से अधिक अवधि तक खुले नहीं रहने चाहिए। योजनाओं का वर्षवार विवरण निम्नवत था-

(धनराशि ` लाख में)

वित्तीय वर्ष (1)	**दिसम्बर 2016 तक पूर्ण योजनाओं की संख्या (2)**	**स्वीकृत धनराशि (3)**	**उपलब्ध राश(4)**	**व्यय राशि (5)**	**बचत राशि (6)**
2015-16	28	67.05	67.05	50.34	16.71
2016-17	05	7.10	7.10	5.34	1.76
योग	**33**	**74.15**	**74.15**	**55.68**	**18.47**

जिला वकास कार्यालय द्वारा ग्रामीण निर्माण वभाग से न तो पूर्ण योजनाओं के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कये गये थे न ही कार्यवार व्यय ववरण व उपभोग प्रमाण पत्र ही प्राप्त कये गये थे। इस प्रकार कार्य समाप्ति के 06 माह उपरान्त भी धनरा श ` 74.15 लाख की 33 योजनाओं का समायोजन सम्प्रेक्षा तिथि (जूलाई 2017) तक लम्बित था।

इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उक्त दोनों बिन्दुओं पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 1:- महात्मा गाँधी नरेगा के अन्तर्गत धनरा श 9.24 करोड़ की सामग्री का अनिय मत क्रय।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना 2 फरवरी 2006 में लागू की गयी थी। योजना क्रयान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी कये गये थे। इसी क़ड़ी में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों में व्याप्त व्यापक वरोधाभासो के द्रष्टीगत भारत सरकार द्वारा वा र्षक मास्टर परिपत्र (कार्यक्रम कार्यान्वयन के लए दिशा-निर्देश 2016-17) जारी कया गया था। मास्टर परिपत्र के पैरा 2.5.1.6 (ख एंव ज) में साम ग्रयों के प्रापण हेतु स्पष्ट पारदर्शी तथा निर्धारित प्र क्रया व ध का अनुपालन करते हुए प्रस्ताव मंगाये जाने व सामान्य वत्तीय नियमों में दर्शाये गये सद्धान्तों का कड़ाई से अनुपालन कये जाने का स्पष्ट उल्लेख था।

जिला वकास अ धकारी ऊधम सहं नगर के अ भलेखों की जांच के दौरान संज्ञान में आया क जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत् कराये गये कार्यों हेतु वत्तीय वर्ष 2016-17 में 9.24 करोड़ की सामग्री क्रय की गयी थी। उक्त साम ग्रयों के क्रय में सामान्य वत्तीय नियमों में दर्शाये गये सद्धान्तों का अनुपालन नहीं कया गया था। क्यों क कार्यालय के पास न ही ऐसे कोई साक्ष्य मौजूद थे जिनसे साम ग्रयों के क्रय हेतु कसी निर्धारित प्र क्रया के अपनाये जाने की पुष्टि होती हो, न ही जनपद स्तर से वकास खण्डो अथवा ग्राम पंचायतो को इस सम्बन्ध में कोई निर्देश ही जारी कये गये थे। जिला वकास कार्यालय द्वारा केवल इतना बताया गया क ग्राम पंचायतों द्वारा आवश्यकनुसार सामग्री क्रय की जाती है।

इस प्रकार योजनान्तर्गत सामान्य वत्तीय नियमों के वपरीत साम ग्रयों के क्रय के कारण वभाग को नि वदा दरों का लाभ नहीं मल पाया तथा सरकार को साम ग्रयों के क्रय के रुप में अ धक भार वहन करना पड़ा।

इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लये जा सकने की बात कही गयी।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्यों क कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देशानुसार साम ग्रयों के प्रापण हेतु स्पष्ट पारदर्शी व निर्धारित प्र क्रयों का अनुपालन सुनुश्चित कया जाना जनपद कार्यालय का दायित्व था क्यों क मनरेगा के संदर्भ में जनपद को एक इकाई के रुप में माना गया है।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग **2** 'ब'

प्रस्तर 2:- मनरेगा नि ध के अंतर्गत 3148 कार्यों का अपूर्ण रहना ।

कार्यालय के अंतर्गत मनरेगा नि ध से कराये जा रहे निर्माण कार्यों को दो से छः माह मे पूर्ण करा लया जाना चाहिए जिससे उनका लाभ क्षेत्र की जनता को प्राप्त हो सके ।

इकाई की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क वत्तीय वर्ष 2014-15 का एक कार्य और 2016-17 के 3147 कार्य अपूर्ण थे । जिसका क्षेत्रपंचायत वार ववरण इस प्रकार है :-

क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत	2014-15 के अपूर्ण कार्य	2016-17 के अपूर्ण कार्य
01	बाजपुर	0	185
02	गदरपुर	0	272
03	जसपुर	01	124
04	काशीपुर	0	570
05	खटीमा	0	958
06	रूद्रपुर	0	139
07	सतारगंज	0	899
कुल योग		01	3147

इसे इं गत कए जाने पर इकाई के द्वारा बताया गया क वर्ष 2014-15 का एक कार्य एम॰आई॰एस॰ मे वकल्प उपलब्ध न होने के कारण अपूर्ण दर्शाया जा रहा है वर्ष 2016-17 के सामाग्री मद का भुगतान न होने के कारण अपूर्ण है ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क इकाई के द्वारा कार्यों को भौतिक रूप से पूर्ण होने के सापेक्ष कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया गया ।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
85/2006-07	01	1, 2
99/2007-08	1	-
146/2013-14	-	-
65/2015-16	-	01

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला वकास अ धकारी, उधम संह नगर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

(ii)

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

(ii)

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री अजय संह	जिला वकास अ धकारी

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही हो सका उन्हें नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला वकास अ धकारी, उधम संह नगर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रे षत कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय